

कार्यालय कलेक्टर परिवर्तित शाखा रायपुर  
सूचना पत्र प्रारूप अ

अ.वि.अ./स.जा.गामला क्र./ 24A/B अ/07-08  
सू.क.अ./स.का.गामला क्र./  
ग्राम,

आदेश दिनांक 14-1-08  
अ/2 वर्ष 2007-08  
अ/2 वर्ष 200

श्री/श्रीमति शंभू शंभू ७२डिया सहित, रस्त. श्री.र. (पु.केशव)  
आत्मज/पति श्री.साधुजी शं. - वि.प.ब.द.कार, रायपुर (छ.ग.)  
निवासी .....  
द्वारा प्राप्त 0123ST प.ह.नं. 80/1 तहसील आरंभ  
जिला रायपुर (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि अकृषि कार्य में परिवर्तन होने के कारण इस पर निम्न अनुसूचित के खंड-5 में लिये अनुसार संशोधित राजस्व निर्धारण हो चुका है। जिसकी यथा विधि पुष्टिकरण हो गई है।

ख.नं. परिवर्तितपूर्व की राजस्व संशोधित राजस्व राजस्व लगान जो निवास व्यवसाय हेतु  
आदि भूमि का कृषि भूमि अकृषि भूमि पर निर्धारित हुआ निर्धारण किया गया  
रकबा की दर निर्धारण हुआ

ख.नं. 553625 01/82 (आवास, व्यवसाय, अधोग) 01/81  
प.ह.नं. 80/1 ग्राम 0123ST प्रयोजन हेतु  
रकबा वर्गमीटर में (अंको में) 553625 01/82 लगान 84704=00 रुपये का 5% अधोसंरचना विकासकर एवं 5% पर्यावरण उपकर.

रकबा (शब्दों में) 553625 01/82 है। 01/81 01/82  
टीप: उक्त रकम आपको दिनांक 01.10.2007/08 से प्रारंभ होने वाले राजस्व वर्ष में एक ही विषय में प्रतिवर्ष तहसीलदार को भुगतान करना होगा।

रायपुर, दिनांक  
परिवर्तित भूमि का निर्धारित लगान रुपये 84704=00  
प्रतिवर्ष की दर से वर्ष 800 से 8008 तक निम्नानुसार

(1) लगान रुपये	<u>84704=00</u>
(2) प्रीमियम	<u>553625=00</u>
(3) अधोसंरचना विकासकर	<u>4235=00</u>
(4) पर्यावरण उपकर	<u>4235=00</u>
(5) पंचायत उपकर	<u>4235=00</u>
(6) अर्धदण्ड	<u>4235=00</u>

योग राशि 689151=00 अक्षरी ६८९१५१

प्रस्तुत मूल चालान क्रमांक / 01/416469 दिनांक 14-1-2008 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा 212482 में जमा किया गया। प्रकरण में 172(1) के तहत व्यवर्तन अनुज्ञा निम्नांकित आरोपित शर्तों के अधीन माना जावे।

1. आवेदक भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनावेदक को एक अभिविन्यास अनुमोदन कराकर समस्त विभागों से विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
2. बिना अनुमति के अन्य प्रयोजनों में उपयोग न किया जावे।
3. बिना अनुमति के उप विभाजन न करे।
4. नगर तथा ग्राम निवेश कार्या. रायपुर छ.ग. के द्वारा आरोपित शर्तों की पालन किया जावे।

  
14-1-08

विशेष कर्तव्याधिकारी  
परिवर्तित भूमि रायपुर

रायपुर, दिनांक :

अनुविभागीय अधिकारी रायपुर को आदेश क्र. /क/परि.मु.लि.अ.वि.अ. दिनांक 11.02.05 के अनुसार सूचनार्थ।

हल्का पटवारी 80/1 ग.नि.गं. 80/1 तहसील रायपुर जिला रायपुर को अभिलेख दुरुस्ती हेतु पालनार्थ।

  
विशेष कर्तव्याधिकारी  
परिवर्तित भूमि रायपुर

200190

200190W

- 1559
- 1558
- 1536/2
- 1552/2
- 1553/2
- 1560
- 335/1
- 336
- 1555
- 1554

5-13 70  
553625 01/82

  
14-1-08

P. A. M.  
S. R. S.